| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं… अहकाम हुक्म … में जा… |
|---|---|---|
| 25/7/22 | पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। वकील वादी व एक वादी को कोर्ट समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। उक्त उनवान प्रकरण वादी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

**श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,**
**गुड़ामालानी जिला बाडमेर**

**वादी** :– रामाराम पुत्र सादूलाराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी हीरपुरा, मालपुरा ,तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण** :–

1. हनुमानराम पुत्र सादूलाराम उम्र 55 वर्ष
2. मंगनाराम पुत्र सादूलाराम उम्र 51 वर्ष
3. पेम्पों पत्नि सादूलाराम उम्र 75 वर्ष
   जाति जाट निवासी हीरपुरा, मालपुरा
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

महोदयजी,

निवेदन वादी की ओर से निम्न प्रकार है :–

1. कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व. सादूलाराम के वारिशान है जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

सादूलाराम
↓
हनुमानराम | मंगनाराम | रामाराम | गोमाराम (लाऔफौ) | पैम्पों

2. कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 52 रकबा 27.06 [illegible] हीरपुरा पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामाला[illegible] [illegible] है। वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested

3. कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादी के भाई गोपाराम लाऔलाद फौत हो चुके है जिस

कारण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा इसी हिस्सों के माफिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विवादित भूमि काबिज है व काश्त कर रहे है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है।

4. कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुए नहीं होने के कारण खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है एवं प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है तथा सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है। इस तथ्य को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, इसलिये वादी वादग्रस्त खेत में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती भूमि में से अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है इसलिये यह वाद वास्ते हिस्से की घोषणा का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना पड रहा है।

5. कि वादी अपने हिस्से की भूमि मौके पर किये गये कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहता है ताकि वादी अपने हिस्से की भूमि पर ऋण आदि लेकर अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाकर अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिये अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अलग करवाना चाहते है जिस हेतु यह बंटवाडे का वाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested

6. कि वर्तमान में भूमि की कीमतों की [illegible] में [illegible] होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि का बेचान करने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा न किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रतिवादीगण संयुक्त भूमि का भूमि उपजाऊपन व

रामाराम